नगर पालिका परिषद् डोईवाला देहरादून।

सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून सीमान्तर्गत **उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च)** के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् डोईवाला द्वारा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 की उपधारा–1(ii)(iii) एवं धारा–294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उददेश्य से शासनादेश संख्या 399/वी–95–204(जरनल)/94 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु **''व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2016''** बनायी जाती हैं, जो **नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1)** के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

''व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2016''

1. **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–**

क–यह उपविधि नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून **''व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि– 2016''** ' कहलायेगी।

ख–यह उपविधि नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग–यह उपविधि नगर पालिका परिषद् डोईवाला द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाऐं–**

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) **''नगर पालिका ''** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून से हैं।

(ख) **''सीमा''** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून की सीमाओं से हैं।

(ग) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् डोईवाला से हैं।

(घ) **''अध्यक्ष''** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् डोईवाला के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड़) **''बोर्ड''** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् डोईवाला के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

(च) **''अधिनियम''** का तात्पर्य **उ0प्र0, नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)** संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(छ) **''लाइसेन्स''** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् डोईवाला की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार और आजीविका के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं।

(ज) "अवधि" का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिए तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से हैं।

3– लाइसेन्स– आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतू आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4– प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पालिका द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

5– सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसादयों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क जो 10 प्रतिशत लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुए वसूल किया जायेगा।

6– लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशाषी अधिकारी में निहित होगा।

7– जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय के सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

8– लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो नगर पालिका के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9– लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पालिका में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।

10– उक्त सूची में वर्णित लाइसेन्सों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् डोईवाला में निहित होगा।

11– व्यवसायिक लाईसेन्स की दरें प्रतिवर्ष निम्नवत होगी, जो व्यापारी/व्यक्ति लाईसेन्स नही बनाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बकाया लाईसेन्स की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सर–चार्ज सहित भू–राजस्व के रूप मे वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

व्यवसायिक लाईसेन्स शुल्क की दरें

क्र0 सं0	मद का नाम	लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3
1.	होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/आश्रम 10 शैया तक	1,000.00
2.	होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैया तक	2,000.00
3.	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	5,000.00
4.	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	6,000.00
5.	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	10,000.00
6.	उपरोक्त 50 शैया से ऊपर	12,000.00
7.	तीन सितारा होटल	15,000.00
8.	पाँच सितारा होटल	20,000.00
9.	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी	5,000.00
10.	रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी	3,000.00
11.	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	2,000.00

	परिवहन	
12.	घोड़ा तांगा	100.00
13.	रिक्शा किराये पर	300.00
14.	रिक्शा (निजी चालित)	200.00
15.	ठेला / ठेली	300.00
16.	हाथ ठेली	250.00
17.	बैलगाड़ी / भैंसा गाड़ी	200.00
18.	ट्रेक्टर ट्रॉली / छोटा हाथी	500.00
19.	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतू सभी वाहन)	500.00
20.	मोटर गैराज	1500.00
21.	स्कूटर गैराज / रिपेयर शॉप	1000.00
22.	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स / सर्विस)	5000.00
23.	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया / तीन पहिया)	2000.00
24.	साईकिल की दुकान	1000.00
	पेट्रोलियम	
25.	पेट्रोल / डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	10,000.00
26.	पेट्रोल / डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	5,000.00
27.	जनरेटर, डीजल / पेट्रोल	1,000.00
28.	दुकान अन्य पेट्रेलियम उत्पादन	1,000.00
	अन्य व्यवसाय	
29.	नर्सिंग होम / अस्पताल	2,000.00
30.	क्लीनिक	500.00
31.	मेडिकल स्टोर	1000.00
32.	कृषि यंत्र, दवाईयां एवं फर्टीलाईजर	1000.00
33.	धुलाई गृह (लान्ड्री)	1,000.00
34.	ड्राई क्लीनर	2,000.00
35.	फाइनेंन्स कम्पनी, चिट फन्ड	8,000.00
36.	इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	10,000.00
37.	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्ड्रस्टियल	2,000.00
38.	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोड़ा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	2,000.00
39.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2,000.00
40.	आटा चक्की	1000.00
41.	गूदड़ / गुड़ गोदाम	1,000.00
42.	कंकड़ तथा सुर्खी की भट्टी	2,000.00
43.	चूना	1,000.00
44.	ईंट का भट्टा	10,000.00
45.	साबुन फैक्ट्री	2,000.00
46.	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईंटा बालू (थोक मोरंग, मारवल, टाईल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर)	5,000.00
47.	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	1,000.00
48.	कपड़ा, थोक विक्रेता	2,000.00
49.	कैटरिंग	1,000.00

50.	बेकरी (भट्ठी)	2,000.00
51.	बेकरी (पॉवर)	1,500.00
52.	हेयर कटिंग सैलून	1000.00
53.	ब्यूटी पार्लर	2,000.00
54.	कुकिंग गैस एजेन्सी	1,000.00
55.	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
56.	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	1,000.00
57.	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	500.00
58.	कोयला (थोक विक्रेता)	500.00
59.	कोयला (फुटकर विक्रेता)	200.00
60.	पेन्ट की दुकान	500.00
61.	ज्वैलर्स (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर	2,000.00
62.	ज्वैलर्स (छोटे) 5 लाख तक टर्नओवर	1,000.00
63.	विज्ञापन एजेन्सी	5,000.00
64.	डेयरी (दूध, पनीर ,दही एवं दूध से बनी अन्य पदार्थ)	5,000.00
65.	भूसा (थोक विक्रेता)	1,000.00
66.	भूसा फुटकर विक्रेता	500.00
67.	ऑडियों/वीडियो लाईब्रेरी	500.00
68.	मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनीयों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
69.	केबिल टी0वी0	1,000.00
70.	आर्किटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट	2,000.00
71.	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
72.	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	500.00
73.	आईस फैक्ट्री	500.00
74.	टेन्ट हाउस	2,000.00
75.	टूर एण्ड ट्रेवल्स	2,000.00
76.	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	1000.00
77.	मसाज केन्द्र/आयुर्वेदिक/प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	2000.00
78.	संगीत कला केन्द्र	1000.00
	दुकान	
79.	अंग्रेजी शरांब की दुकान	20,000.00
80.	देशी शराब की दुकान	15,000.00
81.	पान की दुकान	200.00
82.	चाय की दुकान	300.00
83.	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	500.00
84.	किताबों की थोक दुकान	500.00
85.	किताबों की फुट्कर दुकान	200.00
86.	न्यूज़ पेपर	200.00
87.	लकड़ी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	2,000.00
88.	लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00

89.	टिम्बर मर्चेन्ट	5,000.00
90.	रेडियों/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	500.00
91.	टी0वी0 शॉप/इलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ	1,000.00
92.	फर्टिलाईजर शॉप	1,000.00
93.	मिठाई की दुकान	2,000.00
94.	चाट/बताशे की दुकान	1,000.00
95.	ड्राई फ्रूट विक्रेता (थोक विक्रेता)	1,000.00
96.	ड्राई फ्रूट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	500.00
97.	गैस फिलिंग प्लांट	2,000.00
98.	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	1,000.00
99.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	1,000.00
100.	मसाले थोक विक्रेता	1,000.00
101.	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	2,000.00
102.	फर्नीचर विक्रेता	1,000.00
103.	क्रॉकरी विक्रेता	1,000.00
104.	चूड़ी विक्रेता	500.00
105.	मिट्टी के तेल की दुकान	500.00
	पशुपालन	
106.	प्रति पशु 1–कुत्ता 2–गाय/भैंस 3–अन्य पशु	 100.00 20.00 10.00

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम, 1916, की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो मु0 1,000.00 रूपया तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरन्तर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है मूल्य रू0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार, नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून में अन्तिम रूप से निहित होगा

(बी०एल०आर्य)
अधिशासी अधिकारी,

(कोमल कन्नौजिया)
अध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका परिषद् डोईवाला, देहरादून।

पत्रांक :– 315 /लाइसेन्स–उपविधि/2016–2017 — दिनांक 21 नवम्बर–2016

प्रतिलिपि :–सम्पादक दैनिक शॉह टाईम्स को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञापन सूचना शासकीय दरों पर कम से कम भाग में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 10 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने बावत प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यालय नोटिस वोर्ड पर चश्पा करने हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना उत्तराखण्ड की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5– उप जिलाधिकारी, डोईवाला।
6– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद ऋषिकेश/मसूरी/विकास नगर।
7– पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड ।

अधिशासी अधिकारी, 21-11-2016
नगर पालिका परिषद् डोईवाला।